10 Rs.

दस रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

१०रु. 10RS.

TEN RUPEES

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION

बिहार

BIHAR

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है

वास्ते. निबंधन मह निरीक्षक, बिहार

१२८/१ [illegible]-2-20 स्टाम्प १०

नाम ऊषा भट्ट ऐक्सरा नेटवर्किंग (प्रा.)

वल्द ....

साकिन सो. मिन [illegible] आना हिनहा

जिला नालन्दा [illegible] ने कल

ला. नं. २१ सन् ८४ ....

इन्द्रदेव प्रसाद इन्द्र देव प्रसाद

[illegible] १२०

ज्वायंट ऐक्शन नेटवर्किंग (जन) का
का स्मृति - पत्र

१) संस्था का नाम : इस संस्था का नाम ज्वायंट ऐक्शन नेटवर्किंग (जन) होगा ।

२) संस्था का निर्बंधित कार्यालय - : ग्राम-मोमिन्दपुर, पो०-मोमिन्दपुर, थाना-हिलसा-८० १३०२ जिला - नालन्दा (बिहार) होगा ।

३) संस्था का कार्यक्षेत्र : संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण बिहार होगा । इसकी शाखाएँ कहीं भी खोली जा सकती है ।

४) उद्देश्य : ज्वायंट ऐक्शन नेटवर्किंग (जन) का निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

(क) समता, स्वतंत्रता, बन्धुत्व, न्याय, शांतिमयता के आधार पर वर्ग विहिन शोषण मुक्त समाज का निर्माण करना तथा उसमें विश्व बन्धुत्व की भावना पैदा करना ।

(ख) समाज के अभिवंचित वर्गों को विकास के मुख्य धारा में लाना तथा उन्हें शिक्षित, स्वस्थ एवं स्वावलम्बी बनाना ।

५) उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्था निम्नलिखित कार्यक्रम होंगे :-

(क) जन - जीवन में चेतना जागृति करना एवं उनके जीवन स्तर को उच्चा उठाना ।

(ख) ग्रामीण विकास के लिए कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग एवं स्वावलम्बन की व्यवस्था करना ।

(ग) राष्ट्र में व्याप्त गरीबी, विषमता, समाप्त करना एवं साम्प्रदायिक सद्भाव कायम करने का प्रयास करना ।

(घ) महिलाओं, पुरुषों के बीच गैर बराबरी लिंगभेद, अंधविश्वास, छुआछूत एवं मानव के बीच बढ़ते हुए दूरी को समाप्त करने का प्रयास करना ।

(ङ) स्वावलम्बी एवं स्वास्थ्य समाज का निर्माण करना ।

(च) सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक सक्षम समूह तैयार करना तथा समान विचारधारा के संस्थाओं को सहयोग, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण तथा आवश्यकतानुसार संस्थाओं के निर्माण प्रक्रिया में सहयोग और स्वावलम्बी बनाने का प्रयास करना ।

(छ) रोग निवारण के लिए शुद्ध पेयजल, स्नानघर, शौचालय आदि का प्रबन्ध करना तथा आरोग्यशाला की व्यवस्था करना ।

(ज) सामाजिक चेतना जागृत करने हेतु शिविर, प्रवचन एवं सभाएँ आयोजित करना ।

(झ) विद्यार्थी एवं नवयुवकों के लिए उनके विकास हेतु बुनियादी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा के प्रसार एवं प्रचार करना ।

(ञ) बेरोजगारी दूर करने एवं राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए कुटीर उद्योग चलाना एवं इसके विकास के लिए शिक्षण - प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

(ट) कृषि विकास के लिए सिंचाई, उन्नत किस्म के बीज, खाद्य वैज्ञानिक साधन एवं उचित मार्गदर्शन का प्रबन्ध करना ।

(ठ) साम्प्रदायिक एकता, नारी के अधिकारों की रक्षा, भूमि समस्या एवं नशाबन्दी के लिए कार्य करना ।

(ड) सरकारी गैर सरकारी या समाज सेवी संस्थाओं अथवा व्यक्ति विशेष द्वारा दी जाने वाली सहायता लोगों को प्राप्त कराने की व्यवस्था करना ।

(ढ) अति मुनाफा शोषण, अन्याय तथा चोर बाजारी आदि रोकने के उद्देश्य से आर्थिक व्यवसाय जैसे-खरीद, बिक्री केन्द्रों की स्थापना करन, व्यापार एवं आवागमन के साधनों का व्यवस्था करना ।

(ण) विषमता, अन्याय, शोषण आदि को रोकने हेतु लोक शक्ति तैयार कर अहिंसक ढ़ंग से उनका हल ढूढ़ना ।

(त) कार्यक्रमों के प्रचार तथा लोक शिक्षण हेतु पत्र पत्रिकाएँ निकालना ।

(थ) राष्ट्रभाषा एवं भारतीय भाषाओं के विकास के लिए कार्य करना ।

(द) तकनीकी शिक्षा ।

(ध) लघु उद्योग ।

(न) वाचनालय पुस्तकालय स्थायी तथा चलन्त पुस्तकालय की स्थापना करना ।

(प) समाज के जरुरतमन्द लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना जिसमें, गृह निर्माण, मत्स्यपालन जानलेवा बीमारी रोकने एवं रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य करना ।

(फ) प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी तिब्बती तथा अन्य स्वदेशी पध्दति शिक्षण विकास और सहायता करना । खादी ग्रामोद्योग, पावरलूम, हैण्डलूम, डेरी, मधुमक्खी पालन, बकरी, सुअर, पालन विकास प्रशिक्षण और सहायता ।

(ब) जल जमीन, जंगल को सुरक्षित रखने का उपाय करना, पर्यावरण को शुद्ध रखने का उपाय करना तथा इकौलौजी के लिए काम करना ।

(भ) जन संरचना शिक्षा जनसंख्या नियंत्रण, कुपोषण रोकने हेतु कार्य करना ।

(म) बाल-श्रमिक उन्मूलन, बन्धुआ मजदूर उन्मूलन, तथा बच्चों के विकास के लिए अन्य कार्य सम्पादित करना । युवा विकास, युवा संगठन, क्रीड़ा, क्रीड़ा स्थल तथा इससे संबंधित प्रतियोगिता आयोजित करना ।

(य) कला, संस्कृति की रक्षा एवं विकास करना ।

(र) बच्चों के लिए पालना घर, वृध्द और असहायों तथा विधवाओं के समुचित रक्षा एवं उनके जीवन-यापन का उपाय करना । महिला अत्याचार, महिला उत्पीड़न वैश्या वृति जैसी सामाजिक बुराईयों को दूर करने का प्रयास करना जरुरत मंदों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना ।

(ल) जन संचार सुविधा का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करना ।

(व) शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना तथा जल संरक्षण तथा प्रबन्धन का काम करना ।

(श) निरक्षरता निवारण का कार्य करना । कृषि के नये-नये अविष्कारों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करना । ग्रामीण दस्तकारी को और विकसित करने का प्रयास करना ।

६) निम्नलिखित व्यक्ति जिनके नाम, पद, पेशा, नीचे दिये गये हैं । ज्वायंट एक्शन नेटवर्किंग (जन) के कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं जिनपर संस्था का भार सौंपा गया है :-

क्र० सं०	नाम / पिता, पति का नाम	पद	पेशा	पता
१-	श्रीमती क्रांति राशोष, पति-स्व० राशोष	अध्यक्षा	सामाजिक कार्य	ग्राम- वेदग्राम , पो०-परवलपुर, जिला-नालन्दा (बिहार) ।
२-	श्री रमाकांत शर्मा , पिता-श्री गौरी सिंह	सचिव	सामाजिक कार्य	ग्राम-मोमीनपुर, पो०-मोमीन्दपुर, भाया-हिलसा, जिला-नालन्दा । (बिहार) ।
३-	चन्द्रभूषण (अमरेन्द्र कु०), पिता-श्री श्याम किशोर प्र०	कोषाध्यक्ष	सामाजिक कार्य	ग्राम-वड़ाय, पो०-वड़ाय, इस्लामपुर, जिला-नालन्दा (बिहार)।
४-	श्रीमती सलोनी हेम्ब्रम पति-श्री कार्मेल सोरेन	सदस्या	सामाजिक कार्य	ग्राम-गोपालपुर, पो०-रानीदह, जिला-दुमका (बिहार) ।
५-	जनाव अब्दुस सुभान पिता-स्व० मो० शेख	सदस्य	सामाजिक कार्य	ग्राम-शकरुगढ़ जिला-साहेबगंज (बिहार) ।
६-	भागवत रविदास, पिता-श्री कटकी रविदास	सदस्य	सामाजिक कार्य	ग्राम- मांझुलडीह , पो०-सरैयाहाट , जिला-दुमका (बिहार) ।
७-	श्री कामेश्वर लाल इन्दु पिता-स्व० रामेश्वर लाल	सदस्य	सामाजिक कार्य	ग्राम-पो०-चनपटिया, जिला-पं० चम्पारण (बिहार) ।
८-	श्री बाबूलाल पंडित पिता-श्री भरी पंडित	सदस्य	समाजसेवा	ग्राम-दूरगोवाद , पो०-जयनगर, जि०-कोडरमा ।
९-	सुश्री अख्तरी बेगम पिता-श्री छेदी हवारी	सदस्या	समाजसेवा	ग्राम-करमा, पो०-वृन्दावन, भाया-चौपारण, हजारीबाग ।

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION
बिहार
BIHAR

७) हम अधोहस्ताक्षरी जिनका नाम, पद, पेशा, पता, हस्ताक्षर नीचे दिया गया है, संस्था के स्मृति-पत्र के द्वारा समिति निबंधन ऐक्ट २१/१८६० के अन्तर्गत निबंधन के आकांक्षी हैं।

क्र० सं०	नाम/पिता, पति का नाम	पद	पेशा	हस्ताक्षर
१-	श्रीमती क्रांति राशोष, पति-स्व० राशोष	अध्यक्षा	सामाजिक कार्य	क्रान्ति राशोष
२-	श्री रमाकांत शर्मा, पिता-श्री गौरी सिंह	सचिव	सामाजिक कार्य	रमाकान्त शर्मा
३-	श्री चन्द्रभूषण (अमरेन्द्र कु०) पिता-श्री श्याम किशोर प्र०	कोषाध्यक्ष	सामाजिक कार्य	चन्द्र भूषण
४-	श्रीमती सलौनी हेम्ब्रम पति-कारमेल सोरेन	सदस्या	सामाजिक कार्य	सलोनी हेम्ब्रम
५-	जनाब अब्दुस सुभान पिता-स्व० मो० शेख	सदस्य	सामाजिक कार्य	[illegible]
६-	भागवत रविदास पिता-श्री कटकी दास	सदस्य	सामाजिक कार्य	[illegible]
७-	श्री कामेश्वर लाल इन्दू पिता-स्व० रामेश्वर लाल	सदस्य	सामाजिक कार्य	कामेश्वर लाल इन्दु
८-	श्री बाबू लाल पंडित पिता-श्री स्व० भरी पंडित	सदस्य	सामाजिक कार्य	बाबूलाल
९-	सुश्री अख्तरी बेगम, पिता-श्री छेदी हवारी	सदस्य	सामाजिक कार्य	अख्तरी बेगम

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित "जन" स्वयंसेवी संस्था के प्रबन्ध समिति के सदस्य है और इनलोगों ने हमारे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

All signature Attested

8.7.78

Dr. R. P. Singh
M.B.B.S., M.S.F.I.A.M.S.
Asstt. Prof. of Surgery, Patna

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION, BIHAR

यह सच्चा प्रतिलिपि है।

10 Rs.

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION
बिहार महानिरीक्षक निबंधन के कार्यालय
बिहार
BIHAR

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है।

14.3.90

वास्ते, निबंधन महानिरीक्षक, बिहार

१५√२ दि० २-२०... क्रमांक १०

नाम इन्चार्ज ऐक्शन नेटवर्किंग (सेंत)

साकिन मो. पि. नडव ८... थाना हिलसा

जिला नालन्दा नकल

क्रा. न. ११ सन् ८४ ...

इन्द्रदेव प्रसाद इन्द्र देव प्रसाद

[illegible] ५२

ज्वायंट ऐक्शन नेटवर्किंग (जन)
का नियमावली ।

१) शब्दों की व्याख्या :-

(क) संस्था का अर्थ है : ज्वायंट ऐक्शन नेटवर्किंग (जन)

(ख) समिति का अर्थ है : संस्था की कार्यकारिणी समिति ।

(ग) पदाधिकारी का अभिप्राय है : संस्था के पदाधिकारीगण जैसे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सहित ९ सदस्य ।

(घ) अधिनियम का अभिप्राय है : संस्था निबंधन अधिनियम २१/१८६० से है ।

(ङ) वर्ष का अभिप्राय है : १ अप्रैल से ३१ मार्च होगा ।

२) कार्यक्षेत्र :-

सम्पूर्ण बिहार प्रदेश होगा । आवश्यकता पड़ने पर इसकी शाखा कहीं भी खोली जा सकती है । कार्यक्षेत्र परिवर्तन करने पर इसकी सूचना निबंधन महानिरीक्षक, बिहार सरकार, पटना को दी जायेगी ।

३) सदस्यता :-

कार्यकारिणी समिति निम्नलिखित शर्त पूरा करने वाले व्यक्तियों को सदस्य बना सकती है :-

(क) जो सत्य पर आस्था रखते हों ।

(ख) जिनका जीवन सादा तथा विचार उत्तम हो ।

(ग) जो महिलाओं पर शोषण और वेश्यावृति नहीं करने का संकल्प लेते हों ।

(घ) जो संस्था के उद्देश्यों एवं नियमों का पालन करते हों ।

(ङ) जो संस्था द्वारा संचालित कार्यों को एक वर्ष तक से अधिक बिना वेतन के सेवा की भावना से निष्ठा पूर्वक काम किये हों ।

(च) सदस्यता शुल्क २५०/- रु० वार्षिक होगा तथा सदस्यता के लिए संस्था के विधान के अनुसार आवेदन देना होगा ।

४) सदस्यता की समाप्ति :-

नीचे लिखे परिस्थितियों के अनुसार समाप्त हो जायेगा ।

(क) मृत्यु या मानसिक असंतुलन होने पर ।

(ख) संस्था के उद्धेश्यों एंव नियमों के विरुद्ध काम करने पर ।

(ग) त्याग - पत्र देने एंव समिति द्वारा उसकी स्वीकृति होने पर ।

(घ) वर्ष समाप्ति के बाद तीन माह तक लगातार सदस्यता शुल्क नहीं देने पर ।

(च) समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर ।

(छ) लगातार कार्य समिति की तीन बैठक में उपस्थित नहीं होने सदस्यों को संस्था की सदस्यता समाप्ति की जायेगी, जिसकी सूचना सदस्यों को दी जायेगी ।

५) कार्यकारिणी समिति :-

(क) संस्था की कार्यकारिणी समिति में कम से कम नौ और ज्यादा से ज्यादा पन्द्रह सदस्य होंगे ।

(ख) कार्यकाल समिति का पांच वर्ष का होगा । नया समिति के चुनाव तक पुराना समिति का ही कार्यभार संभाले रहेगी ।

(ग) चुनाव की प्रक्रिया :- संस्था के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव संस्था के आम सभा द्वारा बहुमत के आधार पर होगा । कोई भी सदस्य एक से अधिक वार समिति के सदस्य बन सकता है तथा सचिव कई बार सचिव बन सकते हैं ।

६) कार्यकारिणी समिति के कार्य :-

(क) किसी व्यक्ति को सदस्य बनाना या सदस्यता से निष्कासित करना ।

(ख) बैठक में प्रस्ताव पारित करना तथा उद्धेश्य के प्रति प्रयत्नशील रहना ।

(ग) सचिव द्वारा कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति एंव संस्था संचालन में रचनात्मक भूमिका अदा करना ।

(घ) संस्था का अचल संपत्ति का उत्तरदायी होना तथा क्रय-विक्रय करना ।

(ङ) समयानुसार रैकर्ड एंव निधि का जांच करना ।

(ढ़) बैंक यदि ऋण लेने बात सचिव को संस्था की परिसम्पत्ति गिरवी रखने का अधिकार सर्वसम्मति से देगी ।

७) पदाधिकारियों का अधिकार एवं कार्य :-

(क) अध्यक्ष :

(१) संस्था के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना ।

(२) मंत्री की अनुपस्थिति में आवश्यकतानुसार कार्यकारिणी समिति की सभा बुलाना ।

(३) समान मत आने पर अपने द्वारा निर्णायक मत देना ।

(ख) सचिव :

(१) संस्था की ओर से पत्राचार करना ।

(२) कार्यकर्ताओं की अस्थायी नियुक्ति एवं निलम्बन करना ।

(३) संस्था की आम सभा एवं कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाना ।

(४) संस्था की कार्यवाहियों का लेखा-जोखा रखना एवं प्रतिवेदन तैयार करना ।

(५) आकस्मिक स्थिति में किसी भी कार्य का निर्णय लेना एवं उसका संचालन करना ।

(६) समिति द्वारा पारित सभी कार्यों को करना ।

(७) संस्था के सभी गतिविधियों का अध्ययन करना एवं आय-व्यय तथा कार्य प्रतिवेदन कार्य समिति एवं आम सभा की बैठक में प्रस्तुत करना ।

(८) विविध प्रकार के कार्यों के लिए ५०००/- (पांच हजार रु०) तक की राशि कार्य समिति की पूर्व अनुमति के बिना खर्च करना ।

(९) संस्था द्वारा संचालित कार्यक्रमों के लिए ऋण या अनुदान प्राप्त करना ।

(१०) संस्था की ओर से अथवा उसके विरुद्ध सारा कानूनी कार्रवाई सचिव के नाम से होगा ।

(११) संस्था की चल सम्पत्ति क्रय एवं विक्रय करना ।

(१२) संस्था द्वारा संचालित कार्यों के लिए ऋण दान या अनुदान प्राप्त करना।

(ग) कोषाध्यक्ष :

(१) संस्था का कोष बैंक में सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से रखा एवं निकाला जायेगा ।

(२) संस्था के नीधि के उत्तर ायी होंगे एंव आय-व्यय का लेखा-जोखा रखेंगे ।

८) आम सभा के कार्य एंव अधिकार :-

(क) समिति के सदस्यों एंव पदाधिकारि ं का चुनाव करना ।

(ख) अंकेक्षण की नियुक्ति तथा अंकेक्षित ाय-व्यय लेखा को स्वीकृति प्रदान करना ।

(ग) वार्षिक प्रतिवेदन को स्वीकृति देना ।

(घ) उप-नियम बनाना ।

(च) अध्यक्ष के अनुमति से अन्यान्य वि ों पर विचार करना ।

९) बैठक :-

(क) आम सभा की बैठ क वर्ष में एक ार और कार्यकारिणी समिति की बैठक वर्ष में चार बार होगा ।

(ख) आकस्मिक बैठक कभी भी बुलाया ा सकता है ।

(ग) आम सभा की बैठक की सूचना बै क तिथि से १५ दिन पूर्व दी जायेगी तथा कार्य समिति की बैठक की सू ना बैठक तिथि से १० दिन से पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना ४८ ंटे पूर्व दी जायेगी ।

(घ) पचास प्रतिशत सदस्यों की लिखित मां पर आवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर आवेदन में लिखित विषय के निर्णय हेतु सचिव को बैठक बुलाना होगा । अगर सचिव बैठक नहीं ु लायेंगे तो उक्त अवधि के उपरांत आवेदकों को यह अधिकार होगा कि वे आवेदन लिखित विषय के अनुसार बैठक आयोजित कर सकते हैं । इसकी सूचना सभी सदस्यों को विधिवत देना होगा ।

१०) निर्णय व चुनाव :-

(क) आम सभा या कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव बहुमत के आधार पर होंगे ।

(ख) जिस समय समिति की बैठक बुला ा संभव नहीं हो उस समय आवश्यक विषयों का निर्णय पत्र व्यवहार द्वारा भी किया जा सकता है । जो

तिहाई सदस्यों का निर्णय मान्य होगा ।

११) गणपूरक संख्या :-

(क) आम सदस्यों के लिए गणपूरक संख्या दो तिहाई होगा ।

(ख) कार्यकारिणी सदस्यों के बैठक की गणपूर संख्या दो तिहाई होगा ।

१२) आय का श्रोत :-

(क) सदस्यता शुल्क ।

(ख) दान -अनुदान एवं चन्दा

(ग) सरकारी अनुदान

(घ) संस्था द्वारा की जाने वाली एवं कार्यों के लिए सेवा शुल्क परामर्श शुल्क एवं पर्यवेक्षण शुल्क से होगा ।

(च) सांस्कृतिक कार्यक्रम से ।

१३) अंकेक्षण :- निबंधन महानिरीक्षक अपने विवेक में संस्था का अंकेक्षण किसी मान्यताप्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से करा सकते हैं अन्यथा शुल्क संस्था वहन करेगी।

संस्था के आय-व्यय नियमित एवं सुचारु रूप से रखा जायेगा तथा आम सभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रतिवर्ष अंकेक्षण कराया जायेगा ।

१४) संस्था पंजी का निरीक्षण :-

संस्था के सभी पंजी संस्था के निबंधित कार्यालय में उपलब्ध रहेगा । जहां कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं ।

१५) नियमावली में संशोधन :-

(क) नियमावली में कोई भी संशोधन दो तिहाई बहुमत के आधार पर किया जायेगा ।

(१६) संस्था का विघटन एवं सम्पत्ति की व्यवस्था :-

(१) संस्था का विघटन अगर करना पड़े तो आम सभा के दो तिहाई सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर किया जायेगा । संस्था की परिसम्पत्तियों

का बंटवारा नहीं होगा बल्कि समान उद्देश्य वाली संस्था / सरकार को संस्था का ऋण आदि चुकाने के बाद सुपुर्द की जायेगी।

2. संस्था का विघटन संस्था अधिनियम- 1860 के धारा 13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा।

प्रमाणित करते हैं कि यह नियमावली ज्वायंट ऐक्शन नेटवर्किंग (जन) की सच्ची प्रतिलिपि है।

नाम :-

१- श्रीमती क्रांति राशोष - क्रान्ति (राशोष)
२- श्री रमाकान्त शर्मा - रमाकान्त शर्मा
३- श्री चन्द्रभूषण (अमरेन्द्र कुमार)
४- श्रीमती सलोनी हैम्ब्रम
५- जनाव अब्दुस सुबान
६- श्री भागवत रविदास
७- श्री कामेश्वर लाल इन्दू
८- श्री बाबूलाल पंडित
९- सुश्री अख्तरी बेगम अख्तरी बेगम

रमाकान्त शर्मा

Compared

55/99-2002

ज्वाइंट एक्शन नेटवर्किंग (जन)

AI-6

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है।

वास्ते. निबंधन महानिरीक्षक, बिहार

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION